मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जनवरी 2009—पौष 12, शक 1930

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,
(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,
(2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ-5-2-2004-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमों में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 15 में, —

(एक) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) कोई अभिदाता, यदि चाहे तो, सक्षम प्राधिकारी को, विहित प्ररूप में, जिस वर्ष वह अग्रिम हेतु आवेदन करता है, के ठीक पूर्ववर्ती दूसरे वर्ष के अन्त में उसके खाते में बकाया शेष राशि का पच्चीस प्रतिशत से अनधिक अग्रिम अभिप्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकेगा.".

(दो) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) (क) कोई अभिदाता, तब तक नवीन अग्रिम प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि पूर्व में लिए गए अग्रिम का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया हो.

(ख) उपनियम (1) के अधीन कोई अग्रिम केवल दो बार ही स्वीकृत किया जाएगा तथा उपरोक्त उपनियम (2) (क) के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए किसी वित्तीय वर्ष में, जिस वर्ष वह अग्रिम हेतु आवेदन करता है, के ठीक पूर्ववर्ती दूसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में बकाया शेष राशि के पच्चीस प्रतिशत तक सीमित होगा.".

(तीन) उपनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(8) उपनियम (1) के अधीन अग्रिम स्वीकृत करने हेतु चतुर्थ श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में कार्यालय प्रमुख तथा अन्य के लिये विभाग प्रमुख या कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी होगा. कार्यालय प्रमुख के अग्रिम के मामले में नियंत्रण अधिकारी तथा विभाग प्रमुख के मामले में प्रशासकीय विभाग सक्षम प्राधिकारी होंगे.

टिप्पणी.—प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी जो जिला स्तरीय कार्यालय पर जिला कार्यालय का प्रमुख है, इन नियमों के लिये विभाग प्रमुख होगा.".

(चार) उपनियम (9) तथा (10) और उपनियम (10) के नीचे टिप्पणी (1) तथा (2) का लोप किया जाए.

(पांच) नियम 15 के उपनियम (6) से संलग्न परिशिष्ट "ट" के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

परिशिष्ट "ट"

(सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम 15, 16, 16-ए एवं 16-बी देखिए)

(अस्थाई अग्रिम/आंशिक अंतिम के आहरण के उपयोग हेतु)

भविष्य निधि खाते से अस्थाई अग्रिम/आंशिक अंतिम के आहरण हेतु आवेदन

सह-स्वीकृति प्ररूप

(अभिदाता द्वारा भरा जाने वाला आवेदन)

1. अभिदाता का नाम . . . . . .
2. सामान्य भविष्य निधि का पूर्ण खाता क्रमांक . . . . . .
3. (क) अभिदाता का पदनाम . . . . . .
   (ख) अभिदाता की श्रेणी . . . . . .
4. अभिदाता के खाते में बकाया शेष . . . . . .
   (क) विगत वर्ष में . . . . . .
   (ख) विगत 2 वर्ष पूर्व का . . . . . .
5. अस्थाई अग्रिम/आंशिक अंतिम आहरण की अपेक्षित राशि . . . . . .
6. अस्थाई अग्रिम के बकाया का विवरण :—

अनुक्रमांक	आहरण का माह	राशि जो आहरित की गई रुपये में	पुनर्भुगतान योग्य शेष राशि रुपये में
(1)	(2)	(3)	(4)

7. आंशिक अंतिम आहरण हेतु —

जिस वर्ष अग्रिम हेतु आवेदन किया जाता है, उस वर्ष के पूर्व वर्ष में अग्रिम एवं आंशिक अंतिम आहरण का पूर्ण विवरण . . . . . .

दिनांक 200

. . . . . .

अभिदाता के हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति

1. स्वीकृत राशि — रुपये . . . . . .
   (शब्दों में) . . . . . .
2. आहरण/ स्वीकृति का प्रकार (अस्थाई अग्रिम या आंशिक अंतिम आहरण) . . . . . .
3. नियम जिसके अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है . . . . . .
4. यदि स्वीकृति, विशेष कारणों से है तो उनका विवरण संक्षिप्त में दें. . . . . .
5. लेखाशीर्ष जिसमें राशि डेबिट की जावेगी . . . . . .
6. शर्तें.— (जो लागू न हो उन्हें काट दें) —

   (क) राशि जो महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत की जाने के पश्चात् आहरण की जाना है.

   (ख) नियम 16-बी (2) के अधीन आहरित राशि उसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये उपयोग की जावेगी जिस हेतु आहरित की गयी है तथा 6 माह में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा.

   (ग) वास्तविक उपयोगिता के अतिरिक्त कोई राशि तत्काल कोषालय में ब्याज सहित वापस की जावेगी.

7. प्रमाणित किया जाता है कि स्वीकृति हेतु आवश्यक समस्त शर्तों की पूर्ति कर ली गई है.

दिनांक 200

. . . . . .
स्वीकृतकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदनाम.

2. नियम 16 में,—

(एक) उपनियम (3) का लोप किया जाए.

(दो) नियम 16 के उपनियम (6) में शब्द तथा अंक "नियम 15 के उपनियम (9)" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "नियम 15 के उपनियम (1)" स्थापित किए जाएं.

3. नियम 16-ए में,—

(एक) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) कोई अभिदाता, यदि वह चाहे तो सक्षम प्राधिकारी को आहरण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दूसरे वर्ष के अन्त में उसके खाते में बकाया शेष राशि का पचास प्रतिशत से अनधिक अग्रिम उसके खाते के शेष से आहरित करने के लिये विहित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा.

टिप्पणी.—इस नियम के अधीन कोई आहरण स्वीकृत नहीं किया जावेगा, यदि उसी समय नियम 15 के अधीन अग्रिम स्वीकृत किया गया है.".

(दो) उपनियम (2) का लोप किया जाए.

4. नियम 16-बी में,—

(एक) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) नियम 16-ए(1) में अधिकथित की गई सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अभिदाता को किसी वित्तीय वर्ष में केवल दो बार आहरण हेतु अनुज्ञात किया जाएगा.".

(दो) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) सक्षम प्राधिकारी, किसी विशेष कारण के लिये वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दूसरे वर्ष के अन्त में अभिदाता के खाते में बकाया शेष राशि का पचहत्तर प्रतिशत तक स्वीकृत कर सकेगा.

टिप्पणी—विशेष कारणों से आहरण हेतु अभिदाता को पूर्ण विवरण एवं सबूत प्रस्तुत करने होंगे. अभिदाता को इस उपनियम के अधीन आहरण के लिये सक्षम प्राधिकारी को अधिक आहरण के कारणों से संतुष्ट करना होगा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये विशेष कारणों से आहरण हेतु विभागाध्यक्ष एवं राजपत्रित कर्मचारियों के लिये प्रशासकीय विभाग सक्षम प्राधिकारी होंगे.".

(तीन) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3)(क) उपनियम (1) के उपबंधों के होते हुए, भी यदि अभिदाता चाहे तो, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात् कभी भी अथवा 50 वर्ष की आयु होने पर, वह किसी भी समय विहित प्ररूप में, अपने खाते में जमा पूर्ण अतिशेष राशि का नब्बे प्रतिशत तक आहरण का आवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा तथा ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी अभिदाता के खाते में जमा समस्त राशि का (इसमें जिस माह में आवेदन किया गया है उसके पूर्व माह के अंतिम दिवस तक का ब्याज भी सम्मिलित होगा) नब्बे प्रतिशत आहरण उसके द्वारा लिए गए अग्रिम, यदि कोई हो, का समायोजन करने के पश्चात् अनुज्ञात करेगा.

टिप्पणी.—उपरोक्त उपनियम के अधीन आहरण स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-24-2000-3-एक, दिनांक 22-8-2000 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-5-5-2002-नि-चार, दिनांक 25-1-2003 में दी गई शर्तों का पालन किया जाएगा.

(ख) उपनियम (3) (क) के अधीन आहरण केवल एक बार अनुज्ञात किया जाएगा.".

(ग) उपनियम (4) का लोप किया जाए.

No. F. 5-2-2004-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh General Provident Fund Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 15,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) A subscribers may, if so desires, apply in the prescribed form, to the Competent Authority for obtaining advance not exceeding twenty five percent of the amount that stood to his credit at the end of the second year immediately preceding the year in which the advance is applied for.".

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (2) (a) A subscriber shall not be entitled to get a fresh advance so long as an earlier advance has not been repaid in full.

(b) An advance under sub-rule (1), shall be granted only two times and limited to twenty five percent of the amount that stood to his credit at the end of the second year immediately preceding the year in which the advance is applied for in any financial year, subject to compliance of sub-rule (2) (a) above.".

(iii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

" (8) The authority competent to sanction advance under sub-rule (1) shall be Head of Office in case of Class IV and Class III employees and for others Head of the Department or Collector.

In case of advance of Head of Office, the Controlling Officer and in case of Head of the Department, the Administrative Department will be the Competent Authority.

Note.—The Class I Gazetted Officer who is the Head of Office of the District at District Leval office, shall be Head of Department for these rules.".

(iv) sub-rule (9) and (10) and Notes (1) and (2) below sub-rule (10) shall be omitted.

(v) for Appendix "K" appended to sub-rule (6) of rule 15, the following Appendix shall be substituted, namely:—

APPENDIX - "K"

(*see rule* 15, 16 , 16-A and 16-B of GPF rules)

To be used for temporary Advance/Part Final withdrawal

Form of Application-cum-Sanction for Temporary Advance/Part Final withdrawal from Provident Fund Account

(Application to be filled in by the subscriber)

1. Name of the Subscriber . . . . . .
2. G. P. F. Account number in full . . . . . .
3. (a) Designation of Subscriber . . . . . .
   (b) Class of Subscriber . . . . . .
4. Balance at the credit of the Subscriber.
   (a) On preceding year . . . . . .
   (b) On 2nd preceding year . . . . . .
5. Amount of temporary advance/part final withdrawal required . . . . . .
6. Details of outstanding temporary advances.

Serial No.	Month of drawal	Amount drawn in Rs.	Amount still to be repaid in Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)

7. In the case of part final withdrawal :—

Full details of advance and part final withdrawal drawn by the subscriber immediately preceding the year in which the advance is applied for . . . . . .

Date 200

. . . . . .
Signature of the Subscriber

SANCTION BY THE COMPETENT AUTHORITY

1. Amount hereby sanctioned — Rs. . . . . .
   (in words) . . . . . .
2. Nature of withdrawal/sanctioned (temporary advance or part final) . . . . . .
3. Rule under which the sanction is accorded . . . . . .
4. If the sanction is one for special reason, the reasons in brief. . . . . .
5. Head of account to which the amount is to be debited. . . . . .

6. Conditions : (delete those which are not applicable).—

(a) The amount is to be drawn after authorisation by the Accountant General, Madhya Pradesh.

(b) The amount withdrawn under rule 16-B (2) shall be utilised for the specific purpose for which it is withdrawn and a utilisation certificate shall be furnished in 6 months.

(c) Any amount in excess of actual utilisation should be refunded into Treasury immediately with interest.

7. It is certified that all the conditions required to be fulfilled for this sanctions have been satisfied.

Dated 200

. . . . . .

Signature of the sanctioning Authority and Designation.

2. In rule 16—

(i) sub-rule (3) shall be omitted.

(ii) In sub-rule (6) of rule 16 for the words and figure " sub-rule (9) of rule 15" the words and figure " sub-rule (1) of rule 15" shall be substituted.

3. In rule 16-A—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

" (1) A subscriber may, if he so disires apply in the prescribed form, to the competent authority for withdrawing from the balance to his credit an amount not exceeding fifty percent to the amount that stood to his credit at the end of the second year immediately preceding the year of withdrawal.

Note.—A withdrawal under this rule shall not be sanctioned if and advance under rule 15 has been sanctioned at the same time.".

(ii) Sub -rule (2) shall be omitted.

4. In rule 16-B—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

" (1) Only two withdrawals in any financial year shall be allowed to the subscriber, subject to the limits laid down in rule 16-A(1).".

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

" (2) The Competent Authority may sanction seventy five percent of the amount standing to the credit of the subscriber at the end of the second preceding financial year for any special reason.

Note.—The subscriber has to give the full details and proof for withdrawal under special reasons. The subscriber has to satisfy to the Competent Authority for drawing more amount under this sub-rule. The Competent Authority for the withdrawal under special reasons will be Head of the Department in case of Non Gazetted employees and Administrative Department in case of Gazetted employees.".

(iii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

" (3) (a) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), any time after the expiry of 20 years of service or 50 years of age a subscriber may, of he so desires, apply in the prescribed form to the Competent Authority for the withdrawal of the ninety percent of the entire balance standing to his credit and the Competent Authority on receipt of such an application from the subscriber shall allow the withdrawal of the ninety percent of the entire balance (together with interest up to the last day of month prceding the month in which the application for withdrawal is made) after making adjustments, if any, in respect of advance taken by him.

Note.—For sanctioning the drawal under above sub-rule the Competent Authority should follow the conditions laid down in the General Administration Department's memo No. C-3-24/2000/3/I, dated 22-8-2000 and Finance Department Memo No. F-5-5-2002-rule-IV, dated 25-1-2003.

(b) Drawal under sub-rule (3) (a) shall be allowed only for one time.".

(iv) Sub-rule (4) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल
चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008

क्र. 2754-मप्रविनिआ-2008.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (जेडई जेडजी) सहपठित धारा 62(2) तथा 64(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, दिनांक 6 अगस्त, 2004 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिए जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 में निम्न संशोधन करता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिए जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 में तृतीय संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(i) ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिए जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 (तृतीय संशोधन) [क्रमांक एजी-13 (iii), 2008] कहे जावेंगे.

(ii) ये विनियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे.

(iii) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होंगे तथा समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में इनका क्षेत्राधिकार उनके विद्युत् प्रदाय क्षेत्र के समवर्ती होगा.

2. **विनियम 1.38 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तर-स्थापित की जावे.—**

"टैरिफ आदेश के सत्यापन के लिये आवेदन.".

1.38 अ) उत्पादन कम्पनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के सत्यापन के लिये आवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. कम्पनी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निम्नलिखित जानकारियां प्रस्तुत करनी होगी.

अ. उपाबंध—5 में उपबंधित उत्पादन कम्पनी के आरूप.
ब. उपाबंध—6 में उपबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आरूप.
स. उपाबंध—7 में उपबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी का आरूप.

आयोग के आदेशानुसार,
अशोक शर्मा, आयोग सचिव.

Bhopal Dated: 19th December, 2008

No. 2754-MPERC-2008 In exercise of the powers conferred by Section 181(2) (ze,zg) read with Sections 62(2) and 64(I) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following addendum to the MPERC (Details to be furnished and fee payable by licensee or generating company for determination of tariff and manner of making application) Regulations, 2004 notified on dated 6th August, 2004.

Third Amendment to MPERC (Details to be furnished and fee payable by licensee or generating company for determination of tariff and manner of making application) Regulations, 2004

1. **Short Title and Commencement** : (i) These Regulations may be called the "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Details to be furnished and fee payable by Licensee or generating company for determination of tariff and manner of making application) Regulations, 2004 (Third Amendment) [AG-13(iii) of 2008]"

(ii) These Regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the official gazette of Madhya Pradesh.

(iii) These Regulations shall extend to the entire State of Madhya Pradesh.

2. **Addendum to be introduced after Regulation 1.38.**

"Application for Truing up of Tariff Order

1.38 A The Generating Company, the Transmission Licensee and the Distribution Licensee shall file with the Commission an application for truing-up of tariff orders issued by the Commission. The information to be filed by the Companies / Licensees is as follows:-

a. Formats for Generating Company (Annexure 5)
b. Formats for Transmission Licensee (Annexure 6)
c. Formats for Distribution Licensee (Annexure 7)".

By order of the Commission

Ashok Sharma, Commission Secretary